Punjab Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

CHANDIGARH, MONDAY, OCTOBER 6, 2025 (ASVINA 14, 1947 SAKA)

To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –3 (iii) Dated 6th Ocotber, 2025
To be republished in the Extraordinary issue of the official Gazette of the State dated 6th Otober, 2025

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

Dated: 6th October, 2025
Asvina 14, 1947 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/CS-PB/02/2025 (1): - WHEREAS, the seat of Shri Sanjeev Arora, in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of Punjab, has become vacant on 01.07.2025 by the reason of his resignation, before the expiration of his term of office which was up to and including 09.04.2028; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 147, sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby-

(A) **calls upon** the elected members of the Legislative Assembly of Punjab to elect, before 28th Ocotober, 2025 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;

(B) **appoints,** with respect to the said election;

(a) the 13th October, 2025 (Monday), as the last date for making nominations;

(b) the 14th October, 2025 (Tuesday), as the date for the scrutiny of the nominations;

(c) the 16th October, 2025 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 24th October, 2025 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 28th October, 2025 (Tuesday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) **fixes the hours** from **09:00 am to 04:00 pm**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

Sd/-

(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary to the
Election Commission of India

भारत के राजपत्र के भाग-(ii), खण्ड-3(iii) के असाधारण
अंक में तारीख 6 अक्टूबर 2025 को प्रकाशनार्थ
राज्य के शासकीय राजपत्र के असाधारण
अंक में 6 अक्टूबर 2025 को पुनः प्रकाशनार्थ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

दिनांक:6 अक्टूबर 2025
आश्विन 14, 1947 (शक)

अधिसूचना

सं. 100/रा.स.- पंजाब/02/2025 (1)- यतः, पंजाब राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा में निर्वाचित श्री संजीव अरोड़ा का स्थान जिनकी पदावधि 09.04.2028 सहित उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र देने के कारण 01.07.2025 से रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराना है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा-

(अ) पंजाब राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 28 अक्टूबर, 2025 से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में:-

(क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख	– 13 अक्टूबर 2025 (सोमवार);
(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख	– 14 अक्टूबर 2025 (मंगलवार);
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	– 16 अक्टूबर 2025 (गुरुवार);
(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	– 24 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार); और
(ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा करता है; और	– 28 अक्टूबर 2025 (मंगलवार); नियत

(इ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

हस्ताक्षर
(सुमन कुमार दास)
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

To be published in the Gazette of India, Extraordinary,
Part-II, Section –3 (iii) Dated 6th Ocotber, 2025
To be republished in the Extraordinary issue of the
official Gazette of the State dated 6th Ocotber, 2025

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

Dated: 6th October, 2025
Asvina 14, 1947 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/CS-PB/02/2025 (2): - In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, in consultation with the Government of the State of Punjab, hereby-

(i) designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be the Returning Officer; and

(ii) appoints the officer, specified in column (2) of the said TABLE, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions;

in respect of the bye-election to the Council of States, to be held in the State in pursuance of the Commission's Notification, published in the Gazette of India on 6th October, 2025: -

TABLE

Officer Designated as Returning Officer	Officer Appointed as Assistant Returning Officer
(1)	(2)
Shri Ram Lok Khatana, Secretary, Punjab Vidhan Sabha Secretariat	Shri Jaswinder Singh, Deputy Secretary, Punjab Vidhan Sabha Secretariat

By order,

Sd/-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary to the
Election Commission of India

भारत के राजपत्र के भाग-(ii), खण्ड-3(iii) के असाधारण
अंक में तारीख 6 अक्टूबर 2025 को प्रकाशनार्थ
राज्य के शासकीय राजपत्र के असाधारण
अंक में 6 अक्टूबर 2025 को पुनः प्रकाशनार्थ।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

दिनांक: 6 अक्टूबर 2025
आश्विन 14, 1947 (शक)

अधिसूचना

सं. 100/रा.स.- पंजाब /02/2025(2)- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम् 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग, पंजाब राज्य सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा तारीख 6 अक्टूबर, 2025 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में इस राज्य से राज्य सभा के लिए होने वाले उप निर्वाचन के संबंध में एततद्वारा-

(I) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है; और

(II) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है।

सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)
श्री राम लोक खटाणा, सचिव, पंजाब विधान सभा सचिवालय	श्री जसविंदर सिंह, उप सचिव, पंजाब विधान सभा सचिवालय

आदेश से,

हस्ताक्षर
(सुमन कुमार दास)
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

3520/10-2025/Pb. Govt. Press, S.A.S. Nagar